श्री डी॰एस॰ चौहान एड॰
द्वारा आज दि॰ 13/2/14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.2.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(5)

IN THE COURT OF REVENUE BOARD,

M.P. GWALIOR, (M.P.) रेस्टो - 513-II-14

CASE NO. /2014 RESTORATION

REVISIONISTS *Mahesh Kumar*

अशोक नागर

Versus

RESPONDENTS Munni Bai & others

अशोक नागर

डी॰

हाईव

(5)

महेश कुमार विरूद्ध मुन्नीबाई आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – अशोकनगर

प्रकरण कमांक – रेस्टोरेशन 513–दो/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/3/15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन की ग्राह्यता के बिंदु पर दिये गये तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह पुर्नस्थापन आवेदन दिनांक 3–1–13 को आवेदक का प्रकरण अनुपस्थिति में निरस्त हाने के विरूद्ध उसके पुर्नस्थापन के लिए दिनांक 13–2–14 को अर्थात एक वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है । इस एक वर्ष के विलंब को कोई समाधानकारक कारण आवेदक द्वारा नहीं बताया गया है । यह कहा गया है कि प्रकरण रिकार्ड तलबी और अनावेदक को सूचना हेतु नियत था तथा आवेदक अधिवक्ता को दिनांक 3–7–13 नोट कराई गई थी किंतु इस संबंध में अधिवक्ता का कोई शपथपत्र नहीं है कि वह न्यायालय में क्यों उपस्थित नहीं हुए । दिनांक 3–7–13 से लेकर 13–2–14 तक के विलंब का भी कोई कारण आवेदक अधिवकता द्वारा नहीं बताया गया है, जिस कारण विलंब क्षमा करने के बिंदु पर सद्भावना पूर्वक विचार किया जाये । दर्शित परिस्थिति में यह पुर्नस्थापन आवेदन अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	